बिहार सरकार

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी

(email- sefcdcmot@gmail.com)

जल संसाधन विभाग

अल्प कालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या :– 02/2026–27

भाड़े पर वाहन रखने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी के अंतर्गत योजनाओं के अनुश्रवण, तटबंध निरीक्षण, विभागीय बैठकों एवं अन्य प्रशारानिक कार्यो के निष्पादन हेतु चालक सहित एक अदद स्कॉर्पियो (N) ए०सी० अथवा समरुप वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक वाहन स्वामियों/ट्रैवल एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

1	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी।
2	कोटेशन जमा करने का स्थान	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी का कार्यालय
3	कोटेशन जमा करने की अतिंम तिथि	दिनांक 27.06.2026,समय 3:00 बजे अपराह्न तक
4	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.06.2026 के 3:30 बजे अपराह्न।

नियम एवं शर्ते

1 वाहन के साथ वैध एवं सक्षम अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) चालक उपलब्ध कराना वाहन स्वामी/फर्म की जिम्मेदारी होगी।

2 चालक का वेतन, भत्ता, तथा वाहन के रख–रखाव, मरम्मत, आदि व्यय वाहन स्वामी/फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।

3 कोटेशन के साथ व्यवसायिक वाहन का रजिस्टेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 आदि की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4 कोटेशन स्वीकृत होने पर वाहन स्वामी/फर्म को ₹1,000/– (एक हजार रुपये मात्र) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा निष्पादित करना होगा।

5 वाहन 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण एवं उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा तथा बिना पूर्व अनुमति के किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

6 वाहन खराब होने, दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा किसी कारणवश अनुपलब्ध होने की स्थिति में वाहन स्वामी/फर्म तत्काल समकक्ष श्रेणी का वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

7 वाहन की चोरी, दुर्घटना, विधिक विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति अथवा दायित्व की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी/फर्म की होगी।

8 सेवा संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में विभागीय आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के अधीन अनुबंध/एकरारनामा का विस्तार किया जा सकेगा, जिसकी कुल अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकती है।

9 वाहन का मासिक किराया जिला प्रशासन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्धारित दरों तथा प्राप्त कोटेशन में उद्धृत दरों में से न्यूनतम स्वीकार्य दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किराया जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–51, दिनांक 30.08.2025 द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक मान्य नहीं होगा।

10 आवंटन एवं राशि की उपलब्धता के उपरांत ही विधिवत संधारित लॉग–बुक के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

11 वाहन का न्यूनतम माइलेज 10 (दस) किलोमीटर प्रति लीटर मान्य होगा। लॉग–बुक का संधारण संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

Scanned with OKEN Scanner

12 शपथ–पत्र एवं वांछित अभिलेख संलग्न नहीं होने की स्थिति में कोटेशन अस्वीकार्य एवं अमान्य माना जाएगा।

13 नवीन मॉडल एवं बेहतर स्थिति वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।

14 वाहन की सेवा असंतोषजनक पाए जाने, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने, वाहन/चालक की अनुपलब्धता अथवा विभागीय/प्रशासनिक आवश्यकता में परिवर्तन होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अनुबंध/एकरारनामा को किसी भी समय समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी/फर्म को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

15 कोटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने, किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बिना कारण बताए प्रक्रिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

ह०/–

अधीक्षण अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल,
मोतिहारी।

पत्रांक 1411 / मोतिहारी, दिनांक 13/06/2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकरी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हॉड एवं शॉफ्ट कॉपी के साथ विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल,
मोतिहारी।

Scanned with OKEN Scanner